[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2019 का विधेयक संख्यांक 22

[दि प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्शुअल आफेंसेज (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2012 का 32

(क) उपधारा (1) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घक) "बालक संबंधी अश्लील साहित्य" से किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित ऐसी आकृति, जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित किन्तु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है ;';

(ख) उपधारा (2) में, "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । 2000 का 56 2016 का 2

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 को उसकी धारा 4(1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और—

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा|

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(I) खंड (ञ) में,—

(अ) उपखंड (i) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(इ) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) बालक की मृत्यु हो जाती है ; या";

(II) खंड (ध) में, "सामुदायिक या पंथिक हिंसा" शब्दों के स्थान पर "हिंसा के

दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"6.(1) जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा ।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

धारा 9 का संशोधन ।

(i) खंड (ध) में, "सामुदायिक या पंथिक हिंसा" शब्दों के स्थान पर "हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(फ) जो कोई इस आशय से कि कोई बालक प्रवेशन लैंगिक हमले के प्रयोजन के लिए शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, किसी बालक को कोई मादक द्रव्य, हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ लिए जाने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, फुसलाता है या प्रपीड़ित करता है या देता है या देने के लिए किसी को निदेश देता है या लिए जाने में सहायता करता है, "।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"14.(1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा (1) में उपबंधित दंड के अतिरिक्त क्रमशः धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के अधीन भी दंडित किया जाएगा ।"।

धारा 15 का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड ।

"15. (1) कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल होता है, वह पांच हजार रुपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा "।

धारा 34 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 34 में, "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

2000 का 56
2016 का 2

धारा 42 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 42 में, "भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ. या धारा 509 के अधीन या" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ., धारा 509 के अधीन या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

1860 का 45
1860 का 45
2000 का 21

धारा 45 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (क) को खंड (कख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कख) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी बालक को सम्मिलित करने वाली किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की रीति ;

(कक) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किसी बालक को सम्मिलित करने वाली किसी भी रूप में अश्लील सामग्री के बारे में रिपोर्ट करने की रीति ;" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (उक्त अधिनियम), लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम लिंग निरपेक्ष है और प्रत्येक प्रक्रम पर बालकों के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरी महत्व के मामले से संबंधित है, जिससे बालक के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. तथापि, हाल ही के समय में देश में ऐसे अपराधियों की, जिनका किशोर पीड़ितों के बारे में बर्बर दृष्टिकोण होता है, अमानवीय मानसिकता दर्शाने वाले बाल यौन अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है, । बालक, उनकी अल्पवयस्कता, शारीरिक दुर्बलता तथा जीवन और समाज का अनुभव नहीं होने के कारण आसान शिकार बन रहे हैं । इस घिनौने कार्य को करने वाली शक्ति के विषम संतुलन से, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात मान लेने से बालक के मस्तिष्क पर हानिकर प्रभाव पड़ता है और रिपोर्ट किए गए अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि ऐसे बालक, जो अपने बचपन में यौन हिंसा के शिकार हो जाते हैं, उनका बाद के जीवन में और अधिक दुरुपयोग होता है । वर्ष 2016 की राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या में वृद्धि को उपदर्शित करता है, जिसमें वर्ष 2012 की बजाय 2013 में 44.7 प्रतिशत वृद्धि और 2013 की बजाय 2014 में 178.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और उसके पश्चात् ऐसे मामलों की संख्या में कमी नहीं हुई है ।

4. उच्चतम न्यायालय ने मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य [1983(3)एससीसी 470] में यह अभिनिर्धारित किया कि जब समुदाय यह महसूस करता है कि स्वपरिरक्षण के लिए मारने वाले को भी मारा जाना है, तो समुदाय मृत्युदंड को मंजूर करके उस सुरक्षा को प्रत्याहृत कर सकता है, किन्तु समुदाय प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं करेगा । यह ऐसा दुर्लभतम मामलों में ही करेगा, जहां उनके सामूहिक अंत:करण को इतना धक्का लगता है कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से उनकी मृत्युदंड दिए जाने की वांछनीयता या अन्यथा व्यक्तिगत राय के होते हुए भी मृत्युदंड दिए जाने की प्रत्याशा करेगा । उच्चतम न्यायालया द्वारा देवेंद्र पाल सिंह बनाम राज्य (एनसीटी आफ दिल्ली) [एआईआर 2002 एससी 1661] में इसी अनुरूपता को दोहराया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब समुदाय के सामूहिक अंत:करण को इतना धक्का लगे तो न्यायालय को मृत्युदंड देना चाहिए ।

5. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में चूंकि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की शख्त आवश्यकता है, इसलिए उक्त अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि के लिए उपबंध करने हेतु संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे अपराधकर्ताओं को भयोपरत किया जा सके और किसी बालक के लिए संरक्षा,

सुरक्षा और गौरवपूर्ण बचपन सुनिश्चित किया जा सके । इसमें केंद्रीय सरकार को, किसी बालक को किसी भी रूप में सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिहित प्राधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए भी सशक्त किया गया है ।

6. पूर्व उल्लिखित प्रयोजन के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019, जो लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था तथा विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए लंबित था, 16वीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया । इसलिए यह विधेयक लाया गया है ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 जुलाई, 2019

स्मृति जुबिन ईरानी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 9, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 45 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को किसी बालक को किसी भी रूप में सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करने की रीति का और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी बालक को किसी भी रूप में सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के बारे में रिपोर्ट करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 32) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं ।

1860 का 45
1974 का 2
2000 का 56
2000 का 21

* * * * * *

प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड ।

4. (1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

* * * * * *

ख.—गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला ।

5. * * * * *

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,–

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या 1987 का 14

* * * * * *

(iii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा; या

* * * * * *

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

* * * * * *

6. जो कोई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड ।

* * * * * *

घ.–गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. (क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–

गुरुतर लैंगिक हमला ।

* * * * * *

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

* * * * * *

14. (1) जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड ।

(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करेगा, वह कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

15. कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

बालक द्‌वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्‌वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया :

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी बालक द्‌वारा किया जाता है, वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी । 2000 का 56

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्‌वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्‌ध करेगा ।

(3) विशेष न्यायालय द्‌वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चात्वर्ती सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा (2) के अधीन उसके द्‌वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

आनुकल्पिक दंड ।

42. जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376ङ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है । 1860 का 45

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

MGIPMRND—1561RS(CRC)—15-7-2019.